न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारीः—रमेश देव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः— 87 / 2019

वादपत्र अन्तर्गत धारा :—88 आरटीए

मलकीयत सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह जाति चमार निवासी वार्ड नं. 12 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) वादी

बनाम

1— बलवीर सिंह पुत्र बक्शी सिंह जाति चमार निवासी वार्ड नं. 12 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

2— तहसील राजस्व संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित :—

1— श्री महेन्द्र सिह सिद्धू वकील वादी

2— श्री सुभाष सैन — वकील प्रति सं. 1

—: निर्णय :— दिनांक :—16.12.2022

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादी व प्रतिवादी का पंजीकृत पता वाद के आज्ञापक प्रावधानों के अनुसार पत्र व्यवहार हेतु वही है जो वाद के शीर्षक में अंकित है। वादी कृषि पेशा व्यक्ति है। वादी वार्ड नं. 12 संगरिया में रहता है और कृषि कार्य करता है। वादी के पिता प्रतिवादी सं 01 नाम से चक नं. 2 एनटीडब्ल्यु (ए) खाता बलवीर सिंह जमाबंदी सम्वत् 2070—73 खाता सं 69 / 31 में 0.561 हैक्ट कृषि भूमि दर्ज है। उक्त भूमि वादी के पिता को अपने पिता बक्शी सिंह से प्राप्त हुई है। कृषि भूमि पैतृक भूमि है। जो जद्दी जायदार है। इस कारण जरिये उत्तराधिकार अधिनियम से प्रतिवादी को प्राप्त हुई है। नकल जमाबंदी संलग्न वाद—पत्र है। भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है :—

चक नं.	पं नं.	मुं न.	किला नं.
2 एनटीडब्ल्यु ए	189 / 163	26	5 / 0.177 हैक्ट नहरी 16 / 1 / 0.202, 15 / 3 / 0.182 हैक्ट नहरी

कुल 0.561 हैक्ट नहरी कृषि भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 01 के नाम से चक नं. 3 आरटीपी द्वितीय में 0.960 हैक्ट कृषि भूमि दर्ज है। उक्त भूमि भी संयुक्त परिवार की पैतृक कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 के मध्य अरसा करीब 12 वर्ष पूर्व कृषि भूमि का पंचायती तौर व घरू तौर पर बंटवारा हो गया था। बंटवारे अनुसार वादी अपनी कृषि भूमि पर काबिज चला आ रहा है। आज भी उक्त भूमि वादी के कब्जा काश्त में है। लेकिन गलती से भूमि का नामान्तरण व जमाबंदी में प्रतिवादी सं 01 का नाम दर्ज हो गया। वादी को पता चलने पर प्रतिवादी संख्या 01 से कई बार निवेदन किया कि अरसा करीब 12 साल पहले हुए बंटवारा अनुसार उक्त भूमि का नामान्तरण राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम दर्ज करवा दे। प्रतिवादी कई सालों से आजकल आजकल करता आ रहा है। वादी को भूमि की पानी की बारी व कृषि ऋण लेने में काफी असुविधा हो रही है। वादी के पिता ने अपने हिस्से अनुसार व हिस्से से ज्यादा भूमि अपने नाम करवा रखी है। लेकिन वादी की बंटवाराशुदा भूमि की प्रतिवादी संख्या 01 के नाम से दर्ज चली आ रही है। जिससे हमेशा विवाद रहता है। नकल जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 से निवेदन किया कि बंटवारे अनुसार आई

16/12

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Scanned with OKEN Scanner

कृषि भूमि का वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवा दें ताकि भविष्य में विवाद खत्म हो सके लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 इन्कार हो गया। बस यही वाद कारण है।

अतः वाद वादी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि अर्जी दावा की दफा 2 में दर्ज भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसी कदर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर प्रतिवादी का नाम हटाया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता अपना जवाबदावा मय इकबालदावा पेश कर वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। श्रीमती महेन्द्र कौर पत्नि श्री बीकर सिह पुत्री श्री बलवीर सिह जाति चमार निवासी वार्ड नम्बर 12 संगरिया हाल निवासी कोट भाई तहसील गिदडवाहा जिला श्रीमुक्तसर साहिब पंजाब एवं श्रीमती कर्मजीत कौर पत्नि श्री नक्षत्र सिह पुत्री श्री बलवीर सिह जाति चमार निवासी वार्ड नम्बर 12 संगरिया हाल निवासी कोट भाई तहसील गिदडवाहा जिला श्रीमुक्तसर साहिब पंजाब ने स्वंय उपस्थित होकर 50/रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अपनी सहमति का शपथ–पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। साक्ष्य वादी में वादी मलकीयत सिंह ने अपना शपत्र पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये। वकील वादी ने निम्न दस्तावेजात पेश किये :–

1. चक 2 एनटीडब्ल्यू की जमाबन्दी सं. 2070–2073 खाता संख्या 69/31 खाता बलवीर सिह
2. नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम 3 आरटीपी द्वितीय इन्तकाल खाता संख्या 459 की फोटोप्रति
3. चक 2 एनटीडब्ल्यू इन्तकाल खाता संख्या 278 दिनांक 26.02.2015 की प्रमाणित प्रति

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 2 एनटीडब्ल्यू के खाता संख्या 69/31 खाता बलवीर सिह में दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबति करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादी ने चक 2 एनटीडब्ल्यू के इन्तकाल संख्या 278 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है के आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। चक 2 एनटीडब्ल्यू के इन्तकाल संख्या 278 की प्रमाणित प्रस्तुत की गई है जिससे वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित है। वादी एवं प्रतिवादी ने आपस में आराजी की घोषणा बाबत सहमति का जवाबदावा मय इकबला दावा पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। जवाबदावा मय इकबालदावा इस निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। वाद वादी मुताबिक सहमति के जवाबदावा मय इकबाल दावा व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाता है।

16/12

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned with OKEN Scanner

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी उक्त विवेचन के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि:– चक 2 एनटीडब्ल्यू खाता संख्या 69/31 जमाबन्दी सं 2070–73 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.561 है. कृषि भूमि का वादी मलकीयत सिह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 बलवीर सिह का नाम कलमजन किया जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

नोट :– यदि वादग्रस्त आराजी बैंक रहन हो तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश होने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 16/12/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

वादपत्र अन्तर्गत धारा :–88 आरटीए

प्रकरण संख्याः– 87 / 2019

मलकीयत सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह जाति चमार निवासी वार्ड नं. 12 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) वादी

बनाम

1– बलवीर सिंह पुत्र बक्शी सिंह जाति चमार निवासी वार्ड नं. 12 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

2– तहसील राजस्व संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री महेन्द्र सिह सिद्दू वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री सुभाष सैन वकील प्रतिवादी मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है:– चक 2 एनटीडब्ल्यू खाता संख्या 69 / 31 जमाबन्दी सं 2070–73 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.561 है. कृषि भूमि का वादी मलकीयत सिह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 बलवीर सिह का नाम कलमजन किया जाने के आदेश दिये जाते है।

नोटः– उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज....X....नल....X....मुब्लिक....X....निल....X....बाबत्....X....निल....X....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक....X....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 16/12/2021 को जारी किया गया।

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned with OKEN Scanner